

C.N.T / S.P.T Act के विषय में।

आदेश पत्रक

7 ह ०५० स ०

आदेश पत्रक

①

M-15/2017

प्रथम पक्ष - मंगरकर सरकार
बनाम
द्वितीय पक्ष - बेनाम
मौला पालन को

15/2/17

अभिलेख संख्या - एम. 15/2017 धारा - 107 द.प्र.सं.

धारा प्रेमारी ~~सूरी~~ के अप्राथमिकी संख्या - 10/17

55-
15/2/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द.प्र.सं. की धारा 107 कि अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख दिनांक : 2/3/17 को उपस्थापित करें।

15/2/17

अनुमंडल दण्डाधिकारी
खूँटी

राष्ट्रीय लोक उपाय कर्म लक्ष्मी से
कार की कार्यवाही लक्ष्मी किया
आगत है

सदस्य
कार्यपालक
पदाधिकारी
लक्ष्मी

04.9.17
सदस्य
कार्यपालक
पदाधिकारी
लक्ष्मी

सदस्य
अनुमंडक
पदाधिकारी
लक्ष्मी